मध्यप्रदेश शासन

श्रम विभाग,

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक.1054/1518/2020/ए-16 भोपाल, दिनांक 26.11.2020

प्रति,

1 समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश

2 समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश

3 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

4 समस्त आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगरीय निकाय, मध्यप्रदेश

5 समस्त सहायक श्रमायुक्त/ श्रम अधिकारी / सहायक श्रम अधिकारी,
मध्यप्रदेश

6 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत मध्यप्रदेश

विषय:- मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल)योजना, 2018 में अपील एवं विंगितयों (त्रुटियों) के निराकरण के संबंध में पोर्टल पर व्यवस्था बावत।

संदर्भ:- म.प्र.शासन श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक 658/798/2020/ए-16 भोपाल दिनांक 18.08.2020 तथा मण्डल का पत्र क्रमांक 2180 दिनांक 27.03.2019

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रथम संदर्भित पत्र के माध्यम से स्थानीय स्तर पर अपील एवं विसंगतियों के निराकरण हेतु जिला कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर को अपीलीय अधिकारी नामांकित किया गया है इसी अनुक्रम में पोर्टल पर व्यवस्था की गई है, फिर भी बड़ी संख्या में विसंगति निराकरण / त्रुटि सुधार के प्रकरण मण्डल /विभाग को प्रेषित किये जा रहे हैं। प्रावधान यह है कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर, सक्षम अनुमति पश्चात प्रकरणों में विसंगति/ त्रुटि सुधार स्थानीय स्तर पर कराये जाये, पोर्टल पर की गई व्यवस्था निम्नानुसार है :-

1.1 संबल पोर्टल पर जिला कलेक्टर को दिये गये लॉगइन आई डी तथा पासवर्ड पर यह सुविधा उपलब्ध है। (पूर्व में मृत्यु उपरांत अपात्र घोषित श्रमिकों के सत्यापन हेतु उपलब्ध कराया गया लॉगइन आईडी पासवर्ड ही इस हेतु प्रभावशील होगा)

1.2 जिला कलेक्टर के लॉगइन पर एक नया आप्शन जोडा गया है "हितग्राही के आवेदन में संशोधन हेतु ई-भुगतान आवेदन हटाये " (देखे अनुलग्नक-1)

1.3 उक्त आईकॉन को Clickकरने पर जिस हितग्राही के आवेदन में त्रुटि / विसंगति हो,उस हितग्राही का संबल आई डी दर्ज करना होगा। (देखे अनुलग्नक-2)

1.4 जिस हितग्राही का संबल आई डी दर्ज किया जावेगा, उससे संबंधित आवेदन / ईपीओ निरस्त किया जा सकेगा। जिस बावत् अपीलीय अधिकारी द्वारा अनुमोदित नोटशीट अपलोड किया जाना अनिवार्य है। (देखे अनुलग्नक-3)

1.5 उक्त प्रक्रिया करने से हितग्राही का आवेदन (जिसमें विसंगति / त्रुटि है) पोर्टल से डीलीट हो जायेगा, तथा पोर्टल पर Afresh आवेदन दर्ज किया जाना होगा।

निरंतर....1/3

2. इस प्रक्रिया से सामान्यतः आने वाली निम्न समस्याओं का निराकरण किया जा सकेगा।

2.1 जिस हितग्राही को हितलाभ प्रदान नहीं किया जाना था, त्रुटिवश उनका आवेदन दर्ज कर दिया गया है।

2.2 जिस हितग्राही की सामान्य मृत्यु थी, त्रुटिवश दुर्घटना मृत्यु में दर्ज हो गयी, अथवा दुर्घटना मृत्यु थी, त्रुटिवश सामान्य मृत्यु दर्ज हो गयी है।

2.3 हितग्राही का नामगलत दर्ज हो गया। उल्लेखनीय है कि नाम, पता, मोबाईल, नम्बर, सुधारके अधिकार पूर्व से ही विहित प्राधिकारी स्तर पर प्रदान किये गये है, अतः विहित प्राधिकारी स्तर पर सुधार कर, ईपीओ निरस्ती हेतु अपीलीय अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त, अपीलीय अधिकारी की अनुमोदित नोटशीट अपलोड किये जाने के उपरान्त ईपीओ निरस्त किया जा सकता है।

2.4 उत्तराधिकारी का खाता क्रमांक गलत दर्ज हो गया है।

2.5 गलत / त्रुटिपूर्ण उत्तराधिकारी दर्ज हो गया है।

3. यह भी आवश्यक है कि बिना अपीलीय अधिकारी की सक्षम अनुमति के ईपीओ निरस्त /त्रुटि सुधार / विसंगति निराकरण किसी भी परिस्थिति में ना किया जाये, साथ ही सक्षम अनुमति की नोटशीट पोर्टल पर दर्ज किया जाना अनिवार्य है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपलोड किये उक्त दस्तावेज समय-समय पर राज्य स्तर पर जांचे जा सकते है। त्रुटि पूर्ण अनुमति पायी जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाऐगी। यह व्यवस्था अनुग्रह सहायता के प्रकरणों में डिजीटल साईन करने के पूर्व ही प्रकरण को निरस्त करने हेतु उपलब्ध करायी गई है। डिजीटल साईन के पश्चात प्रकरणों को निरस्त किया जाना संभव नहीं है। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की विसंगति / त्रुटि सुधार हेतु यदि राज्य स्तर पर कोई प्रकरण प्रेषित किया जाता है तो उस पर भी अपीलीय अधिकारी के सक्षम अनुमोदन पश्चात ही विचार किया जा सकेगा।

4. यह कि उपरोक्त त्रुटि सुधारों के अतिरिक्त भी पत्र क्रमांक 2180 दिनांक 27.03.2019 द्वारा अन्त्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि के प्रकरणों में जिनमें आधार की अनुपलब्धता हो, आधार शिथिलीकरण भी जिला कलेक्टर को प्रदान किए गए हैं इस में तत्संबंध में पोर्टल पर "आधार की अनिवार्यता हटाये"आप्शन भी जिला कलेक्टर लॉगइन पर उपलब्ध है। (अनुलग्नक-4) उक्त आप्शन को क्लिक करने पर, श्रमिक संबल आई.डी.डालने पर उक्त श्रमिक व उसके परिवार का विवरण प्रदर्शित होगा,(अनुलग्नक-5)जिसमें से जिसे सहायता दी जा रही हो, उस श्रमिक /सदस्य की आधार अनिवार्यता शिथिल की जा सकेगी।

अतः कृपया उक्त व्यवस्था अनुसार स्थानीय स्तर पर प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित कराया जावे, जिससे हितग्राही को त्वरित लाभ प्राप्त हो सके।

(छोटे सिंह)
उपसचिव
म.प्र. शासन, श्रमविभाग

निरंतर....2/3

पृष्ठा. क्रमांक.1045/1518/2020/ए-16 भोपाल, दिनांक 26.11.2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन श्रम विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

उपसचिव

म.प्र. शासन, श्रमविभाग

मध्यप्रदेश शासन

अनुलग्नक - 1

संबल पोर्टल

अनुग्रह सहायता योजना के लंबित प्रकरणो का पुन: सत्यापन की कार्यवाही (समय सीमा- 31 जुलाई)

होम | डाउनलोड | सत्यापन रिपोर्ट व प्रमाण पत्र | अपात्र रिपोर्ट | रिपोर्टस | आधार की अनिवार्यता हटायें | हितलाभ के आवेदन मे संशोधन हेतु ई-भुगतान आदेश हटायें

140820071019

कृपया ध्यान दे

- पुन: सत्यापन हेतु प्रस्तावित प्रकरणो की सूची डाउन्लोड करें
- सभी प्रकरणो का सावधानी पूर्वक ज़िला कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी / दल के द्वारा मौके पर जा कर सत्यापन किया जाना है.
- प्रकरण के पात्र पाये जाने की स्थिती में जांच प्रतिवेदन व अनुशंशा को 3 दिवस में पोर्टल पर दर्ज किया जाना है व कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति की स्केनेड प्रति भी पोर्टल पर 3 दिवस में अपल [...]ाना है।
- प्रमाण पत्र, जांच प्रतिवेदन व अनुशंशा के पोर्टल पर अपलोड करने के अधिकार कलेक्टर कार्यालय को है, इस कार्य हेतु उन्हे विशेष यूसर नेम वा पासवर्ड उपलब्ध कराया जावेगा।
- प्रमाण पत्र, जांच प्रतिवेदन व अनुशंशा के पोर्टल पर अपलोड ना स्थिति में प्रकरण को स्वतः ही आपत्र माना जावेगा
- प्रमाण पत्र की स्केन्ड कॉपी कॉपी स्पष्ट व अच्छी होनी चाहिए जिसे आसानी से पड़ा जा सके। प्रमाण पत्र की स्केन्ड कॉपी स्पष्ट व अच्छी नहीं होने की स्थिति मे आवेदक प्रकरण किया जा सकता है।

होम डाउनलोड सत्यापन रिपोर्ट व प्रमाण पत्र अपाव रिपोर्ट रिपोर्ट्स आधार की अनिवार्यता हटाये हितलाभ के आवेदन में संशोधन हेतु ई-भुगतान आदेश हटाये

111120010541

अनुलग्नक -2

(श बना चुके प्रकरण / को हटाये :

श्रमिक की नौ अंको की संख्या आईडी : * Enter Digits Only

आवेदन खोजे

डाउनलोड | सत्यापन रिपोर्ट व प्रमाण पत्र | अपात्र रिपोर्ट | रिपोर्ट्स | आधार की अनिवार्यता हटाये | हितलाभ के आवेदन में संशोधन हेतु ई-भुगतान आदेश हटाये

0010541

अनुलग्नक - 3

को हटाये :

चुके प्रकरण

श्रमिक की नौ अंको की संबल आईडी : * :

श्रमिक खोजें

जिला :	धार	जनपद :	जनपद पंचायत, उमरबन	ग्राम पंचायत :	छिर्वी
श्रमिक का नाम :		जेंडर :	पुरुष	जन्म दिनांक :	01/01/1984
सर्वे दिनांक :	03/04/2018	मोबाइल नंबर:			

	Nominee Name	Nominee IFSC	Nominee Account No	Amount	Remark
1				400000	

रिमार्क :

नोटशीट अपलोड करें : Choose File No file chosen

Delete EPO And All Details Related to Benefit

मध्यप्रदेश शासन

संबल पोर्टल

अनुलग्नक-1

अनुग्रह सहायता योजना के लंबित प्रकरणों का पुनः सत्यापन की कार्यवाही (समय सीमा- 31 जुलाई)

होम | डाउनलोड | सत्यापन रिपोर्ट व प्रमाण पत्र | अपात्र रिपोर्ट | रिपोर्ट्स | आधार की अनिवार्यता हटायें | हितलाभ के आवेदन में संशोधन हेतु भुगतान आदेश हटायें

111120010538

अंत्येष्टि सहायता हेतु दी गई राशि की प्रतिपूर्ति (क्लेम) हेतु प्रकरण दर्ज करने हेतु आधार की अनिवार्यता हटाये

श्रमिक की नौ अंकों की संबल आईडी : * : Enter Digits Only

श्रमिक की नौ अंकों की संबल आईडी पुनः प्रविष्ट करें : * : Enter Digits Only

श्रमिक खोजें

होम डाउनलोड सत्यापन रिपोर्ट व प्रमाण पत्र अपात्र रिपोर्ट रेपोर्ट्स आधार की अनिवार्यता हटाये हितग्राही के आवेदन में संशोधन हेतु ई-भुगतान आदेश हटाये

111120010538

प्रकरण क्रमांक - 5

अंत्येष्टि सहायता हेतु दी गई राशि की प्रतिपूर्ति (क्लैम) हेतु प्रकरण दर्ज करने हेतु आधार की अनिवार्यता हटाये :

को की संबल आईडी :

श्रमिक की नौ अंकों की संबल आईडी पुनः प्रविष्ट करें :

श्रमिक खोजें

श्रमिक का विवरण :

श्रमिक का नाम :

श्रमिक का आईडी. :

लिंग : पुरुष

मोबाइल नंबर :

स्थाई पता :

जन्म दिनांक: 01/01/1977

जनपद पंचायत : जनपद पंचायत, धार

जिला : धार

ग्राम पंचायत: किरणत्या

श्रमिक के परिवार के सदस्यों की सूची :

Member ID	Member Name	DOB	
	Somli Bai	01/01/1976	
	Dtu Singh	01/01/2000	